हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

विषय : शैक्षिक सत्र 2021–22 कक्षा नौंवी से बारहवीं राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमैंट हेतु बिना विलम्ब शुल्क तिथियाँ बढ़ाने बारे।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 01.12.2021 अनुसार कक्षा नौंवी से बारहवीं राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमैंट हेतु तिथियाँ निम्न अनुसार बढ़ाई जाती है :–

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	100/– रू0 (प्रति विद्यार्थी) विलम्ब शुल्क सहित	200/– रू0 (प्रति विद्यार्थी) विलम्ब शुल्क सहित	300/– रू0 (प्रति विद्यार्थी) विलम्ब शुल्क सहित	1000/–रू0 (प्रति विद्यार्थी) विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियाँ
नौंवी से बारहवीं	10.12.21 तक	11.12.21 से 17.12.21	18.12.21 से 24.12.21	25.12.21 से 31.12.21	01.01.22 से 07.01.22	08.01.22 से 14.01.22

अस्थाई विद्यालयों का पोर्टल केवल Migrate हुए छात्रों व जियों मैंपिंग(Geo Mapping) हेतु खोला गया है ताकि दूसरे विद्यालयों से आए विद्यार्थियों का आवेदन फार्म समय रहते भरा जा सके।

एनरोलमैंट आवेदन हेतु शेष नियम/विनियम व शर्तें पूर्व अनुसार रहेगी जो निम्नलिखित है :–

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा नौंवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए एनरोलमैंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन–लाईन दर्ज की जानी हैं। एनरोलमैंट हेतु हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/–रू0 प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों/बोर्डों से आए विद्यार्थियों के लिए 200/–रू0 प्रति विद्यार्थी है।

विद्यालयों द्वारा नौंवी एवं ग्यारहवीं कक्षा का प्रश्न–पत्र शुल्क 50/–रू0 प्रति विद्यार्थी जमा करवाना होगा। ग्यारहवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों का एनरोलमैंट पूर्व में हो चुका है, उन विद्यार्थियों का विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए 50/–रू0 प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न–पत्र शुल्क 500/–रू0 प्रति विद्यालय जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न–पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

एनरोलमैंट एवं प्रश्न–पत्र शुल्क कक्षा नौंवी एवं दसवीं के लिए ICICI बैंक एवं ग्यारहवीं एवं बारहवीं के लिए Axis बैंक द्वारा गेटवे पेमैंट के माध्यम से भेजा जाना है।

अतः सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमैंट रिटर्न के आवेदन–पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (ऑन–लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें। कक्षा नौंवी से बारहवीं के विद्यार्थियों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 97286–66953 या 01664–254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664–244171 से 176 **Ext.** 164 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई–मेल **enrollmentbsehhelp@gmail.com** तथा asenr@bseh.org.in पर ई–मेल भेजी जा सकती हैं।

नोट :–

1. सत्र 2021–22 कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
2. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमैंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापिसी हेतु एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर–अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना–पत्र ई–मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमैंट शुल्क वापिसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
3. एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डों से आए नौंवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के एनरोलमैंट करने उपरान्त मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के एनरोलमैंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें S.L.C/T.C की जाँच करने उपरान्त ही स्थाई माना जाएगा। जाँच में Bogus/Fake पाए जाने पर एनरोलमैंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं संस्था के विरूद्ध विनियम–21 (i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं एनरोलमैंट रिटर्न बारे लिंक **https://school.bseh.net/** बोर्ड की वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर उपलब्ध हैं ।

सहायक सचिव (एनरोलमैंट)
कृते : सचिव